Notes by : DR. RAM LOCHAN MISHRA

(Associate professor)

Head of Department

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL DARBHANGA

B. Com part -1 paper-1 Financial Accounting

Unit-V

Financial statements of non profit organization, Insolvency Account

दिवालिया सम्बन्धी खाते Insolvency Account

B.Com 1st Year Insolvency Account Insolvency Acts in India:

प्रत्येक व्यापारी अपना व्यवसाय लाभ कमाने के उदेश्य से करता है परन्तु कभी-कभी व्यावसायिक किर्याओ के ठीक ढंग से न हो पाने या अन्य किसी कारण से व्यापारी के समक्ष ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है की वह अपने दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है ऐसी दशा में वह कानून से सहायता प्राप्त करके अपने दायित्व के भुगतान से मुक्त पा सकता है ऐसी दशा में ऋणी की

समस्त सम्पतियो को बेचकर जितना सम्भव हो लेनदारों को भुगतान कर दिया जाता है |

साधारण बोलचाल में ऐसा व्यक्ति जिसके दायित्व उसकी सम्पतियो से अधिक हो जाए, दिवालिया कहलाता है परन्तु वैधानिक द्रष्टि से वह व्यक्ति जो निम्न दो शर्तों को पूरा करता है दिवालिया कहलाता है -

I. उसके दायित्व उसकी सम्पतियो से अधिक हो, तथा

II. न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो |

भारत में दिवालिया सम्बन्धित अधिनियम (Insolvency Acts in India)

1) प्रेसिडेन्सी टाउन्स दिवालिया अधिनियम 1909 (Presidency Town Insolvency act, 1909) — यह अधिनियम तीन महानगरों - मुंबई कोलकाता तथा चेन्नई में लागू होता है महत्वपूर्ण है की दिल्ली पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है

2) **प्रान्तीय दिवाला अधिनियम 1920 (Provincial Insolvency act 1920) – यह अधिनियम उपरोक्त तीन महानगरों को छोडकर शेष भारत (Rest of India) में लागू होता है |**

दिवालिया घोषित होने की विधि (Insolvency Procedure)

किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित होने के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा -

i. **दिवालिया घोषित होने के लिये प्राथनापत्र देना - न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने के लिये ऋणी अथवा ऋणदाता द्वारा न्यायालय में आवेदन पत्र देना आवश्यक होता है यदि ऋणी का भुगतान करने में असमर्थ को (उस पर 500 रु० से अधिक की देनदारी हो जिसे वह भुगतान कर पा रहा हो) अथवा वह ऋण न चुकाने के कारण न्यायालय में हिरासत में हो तो वह स्वयं न्यायालय में आवेदन कर सकता है ऋणदाता भी ऋणी के दिवालिया घोषित होने के लिये न्यायालय में प्राथनापत्र दे सकता है परन्तु इसके लिये यह आवश्यक है की उसे ऋणी से 500 रु० से अधिक लेने हो तथा उसके आवेदन देने के पूर्व के तीन माह में ऋणी ने दिवालिया का कोई आचरण किया हो |**

ii. **न्यायालय द्वारा दिवालिया होने का आदेश (Adjudication Order by Court) – ऋणी अथवा ऋणदाता द्वारा आवेदन देने के उपरांत न्यायालय एक तिथि घोषित क्र उसके आवेदन की सुनवाई करता है तथा यह निश्चित करता है की ऋणी को दिवालिया घोषित किया जाए या नहीं | यदि वह ऋणी को दिवालिया घोषित करता है तो वह एक आदेश देता है जिसे दिवाला आदेश (Adjudication Order) कहते है इस आदेश के बाद ऋणी न्यायिक रूप से दिवालिया घोषित हो जाता है तथा उसकी सम्पतियो पर न्यायालय का अधिकार हो जाता है |**

iii. **न्यायालय द्वारा ऋणी की सम्पति की वसूली तथा लेनदारों में वितरण (Realization of Assets by Court and Payment to Creditor) — दिवाला आदेश पारित होने के पश्चात न्यायालय ऋणी की सम्पतियो की वसूली के लिये एक अधिकार को नियुक्त कर देता है जिसे आफिशियल रिसीवर (Official Receiver) कहा जाता है यह अधिकारी ऋणी की सम्पतियो को अपने अधिकार में लेकर उनकी वसूली करता है तथा लेनदार को उनके भुगतान के क्रम के अनुसार भुगतान करता है |**

iv. **न्यायालय से मुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना (Receiving Discharge Certificate From Court) – अधिकारी की रिपोर्ट आने के पश्चात न्यायालय द्वारा ऋणी को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जिस मुक्ति प्रमाण पत्र कहा जाता है मुक्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात ऋणी अपने समस्त दायित्वों से मुक्त हो जाता है तथा इसके बाद वह**

नया व्यवसाय भी आरम्भ कर सकता है ऋणी को यह प्रमाण पत्र तभी दिया जाता है जब न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी अपनी रिपोर्ट में ऋणी को उसके दायित्व से पूर्णतः मुक्त घोषित करें |